



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29467

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 5016/2025

रतन लाल

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : इरफान अहमद मलिक

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इरफान अहमद मलिक, जो मुख्य और संबंधित रिट याचिका संख्या 1824/2026 (रतन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में उपस्थित थे, और प्रतिवादियों के मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल की दलीलें सुनीं।
- दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने यह स्पष्ट किया है कि वे आगे कोई हलफनामा प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं और रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः दोनों पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें वर्ष 1990 में सीच पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और वे 31.07.2024 को सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, मध्य गंगा नहर निर्माण प्रभाग-10, बुलंदशहर के कार्यकारी अभियंता द्वारा दिनांक 25.03.2025 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के वेतन को पुनः निर्धारित किया गया और उनका मूल वेतन 56,900/- रुपये से घटाकर 53,600/- रुपये कर दिया गया, जो 01.01.2024 से प्रभावी हुआ।
- उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए मुख्य रिट याचिका दायर की गई, जिसमें दिनांक 21.04.2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 ने प्रतिवाद दाखिल किया है।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि वेतन पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप, उनकी उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए, एक संबंधित रिट याचिका भी दायर की गई है, जिसकी सुनवाई मुख्य रिट याचिका के साथ ही की जा रही है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनकी सेवानिवृत्ति के समय याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही न तो विचाराधीन थी और न ही लंबित थी। इसलिए, प्रतिवादियों के लिए याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और पेंशन को रोकना उचित नहीं है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि यद्यपि वेतन का पुनर्निर्धारण 25.03.2025 को किया गया था, अर्थात् याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, जो कि 31.07.2024 को हुई थी, उक्त पुनर्निर्धारण आदेश को मुख्य

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रिट याचिका में स्थगित कर दिया गया है; अतः याचिकाकर्ता सभी परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है।

7. इसके विपरीत, विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुनर्निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 30.01.2017 को दिए गए वचन के आधार पर किया गया था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जाएगा और उनके जवाब पर विचार करने के बाद अंतिम आदेश पारित किया जा सकता है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

9. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता समूह-सी पद पर कार्यरत थे और 31.07.2024 को सेवानिवृत्त हुए। प्रतिवादियों का कहना है कि 30.01.2017 को दिए गए वचन के आधार पर पुनर्निर्धारण किया गया है। याचिकाकर्ता उक्त वचन का खंडन करता है, हालांकि, उनका कहना है कि वैसे भी, याचिकाकर्ता वसूली और पुनर्निर्धारण की राशि पर विवाद कर रहा है। न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा जाना चाहिए था।

10. चूंकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह मत है कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जाएगा, अतः रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है :-

क. याचिकाकर्ता 11.03.2026 से पहले प्रतिवादी संख्या 3/कार्यकारी अभियंता, मध्य गंगा नहर निर्माण प्रभाग-10, बुलंदशहर के समक्ष प्रमुख और संबंधित रिट याचिकाओं की स्व-सत्यापित प्रति और हलफनामों की प्रतियों के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

ख. अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेजों सहित, कथित वचन और निरीक्षण रिपोर्ट सहित, एक विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

ग. याचिकाकर्ता नोटिस में निर्धारित समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा।

घ. इसके बाद, (i) वेतन का पुनर्निर्धारण और (ii) सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों, जिसमें उपहार भी शामिल है, के भुगतान के संबंध में कानून के अनुसार तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित किया जाएगा।

ड. यह संपूर्ण प्रक्रिया आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

11. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, दोनों रिट याचिकाएं निपटा दी जाती हैं।

10 फरवरी, 2026

सुषमा

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"